कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवम् अधीक्षक मुद्रांक मध्यप्रदेश, भोपाल

(पंजीयन भवन, प्रथम तल, प्लॉट 35–ए, अरेरा हिल्स, जिला न्यायालय के पीछे, भोपाल – 462011)

क्रमांक 726 /सम्पदा गो–लाईव – 47/2015 भोपाल, दिनांक 12.06.2015

प्रति

समस्त वरिष्ठ जिला पंजीयक एवं जिला पंजीयक,
मध्यप्रदेश।

विषय – सम्पदा ई–पंजीयन परियोजनान्तर्गत निर्देशों का पालन सुनिश्चित किए जाने बाबत्।

उपर्युक्त विषयांतर्गत निम्नलिखित निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें –

1. कई बार पक्षकार स्लॉट में निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं होते हैं। इस संबंध में सेवा प्रदाताओं को निर्देशित किया जाए, ताकि एक ओर पक्षकारों को असुविधा न हो और दूसरी ओर कार्यालयीन व्यवस्था भी बनी रहे। नियत स्लॉट पर उपलब्ध न होने वाले पक्षकारों के दस्तावेज उस दिन सबसे अन्त में ई–पंजीकृत किए जाएं।

2. ई–पंजीयन के तत्काल बाद दस्तावेज का प्रिन्ट लिया जाए। इसके लिए यूएसटी ग्लोबल द्वारा समस्त प्रिन्टरों के लिए कार्टरेज की उपलब्धता एवं प्रति प्रिन्टर न्यूनतम एक बैकअप का स्टॉक सुनिश्चित किया जाए। यदि निर्धारित स्पेसिफीकेशन से बेहतर कार्टरेज इस्तेमाल किया जा रहा है, तो पहले उसकी टेस्टिंग आवश्यक होगी।

3. यह भी आवश्यक है कि यूएसटी ग्लोबल एवं विभाग द्वारा क्रय कार्टरेज Box packed एवं Sealed हों तथा इन्हें विभागीय अधिकारी के समक्ष खोलकर इन्स्टॉल किया जाए। इन्स्टॉल कार्टरेज से एक टेस्ट पेज भी प्रिन्ट करें, ताकि उस पर प्रिन्टर एवं कार्टरेज के सभी डिटेल्स आ जाएं। इससे असली कार्टरेज की पहचान सुगमता से की जा सकती है।

4. यह भी सुनिश्चित करें कि सभी सेवा प्रदाताओं द्वारा सक्रिय रूप से कार्य किया जाए। इसके लिए उन्हें लगातार समझाईश एवं प्रशिक्षण दिया जाए।

5. किसी भी स्थिति में दस्तावेज प्रदाय के ऑप्शन पर पक्षकार के हस्ताक्षर के बजाए सेवा प्रदाता के हस्ताक्षर न लिए जाएं। कार्यालय में इस आशय का सूचना–पटल भी अनिवार्य रूप से डिस्प्ले किया जाए कि पक्षकार अपने अंगूष्ठ निशान एवं हस्ताक्षर लिए जाने के बाद कार्यालय न छोड़े, बल्कि ई–पंजीकृत दस्तावेज अपने साथ लेकर ही जाएं।

Dipali Rastogi

(दीपाली रस्तोगी)
महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश।

निरन्तर 2

पृष्ठांकन क्रमांक 727/ सम्पदा गो–लाईव–47/2015 भोपाल, दिनांक 12.06.2015

प्रतिलिपि –

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
2. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
3. उप महानिरीक्षक पंजीयन, भोपाल/इन्दौर/जबलपुर/ग्वालियर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. श्री स्वप्नेश शर्मा, जिला पंजीयक एवं प्रभारी, सम्पदा परियोजना प्रबंधन इकाई को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश।